न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम) जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री छगनलाल गोयल आर0ए0एस

रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र 58 / 2016

प्रार्थी

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, लूणी

बनाम

अप्रार्थी

1. भल्लाराम पुत्र रामाराम जाति जाट निवासी बोरानाड़ा।
2. मोतीराम पुत्र रामाराम जाति जाट निवासी बोरानाड़ा।
3. श्रीमती गैरीदेवी पत्नी भल्लाराम जाति जाट निवासी बोरानाड़ा।
4. श्रीमती खेती देवी पत्नी मोतीराम जाति जाट निवासी बोरानाडा तहसील लूणी।
5. व्यवस्थापक, विजया बैंक शाखा पाल (जोधपुर)
6. मगाराम पुत्र रामाराम फौत कायम मुकाम
   6 / 1 अनुदेवी पुत्री मगाराम,
   6 / 2 कौशल्या पुत्री मगाराम,
   6 / 3 आयचुकी पत्नी स्व0 मगाराम
   सभी जाति जाट निवासी बोरानाडा।

रेफरेन्स प्रार्थन–पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956।

उपस्थिति

1. प्रार्थी की ओर से सरकारी पैरोकार अनुपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 1,3 की ओर से अभिभाषक श्री अशोक चौधरी।
3. अप्रार्थी संख्या 2,4 की ओर से अभिभाषक श्री अनिल राठी।
4. अप्रार्थी संख्या 5 बावजुद इतला अनुपस्थित।
5. अप्रार्थी संख्या 6 / 3 की ओर से अभिभाषक से श्री नथाराम चौधरी।

निर्णय दिनांक 14.05.2018

यह रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र तहसीलदार लूणी द्वारा अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर जाहिर किया कि ग्राम बोरानाडा के खसरा न0 268 रकबा 7.02 बीघा वक्त भू प्रबन्ध से गैर मुमकिन नाडा दर्ज था। जिसका आंवटन अप्रार्थीगणों के नाम दर्ज वर्तमान में रिकार्ड में अंकन होने के कारण माननीय उच्च न्यायलय जोधपुर में जनहित

याचिका सं 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार व अन्य में प्रदत्त निर्देशों की पालना हेतु अप्रार्थीगणों के विरूद्ध पेश किया है।

ग्राम बोरानाडा तहसील लूणी के खसरा नम्बर 268 रकबा 7.02 बीघा किस्म गैर मुमकिन नाडी मिसल बन्दोबस्त/जमाबन्दी संवत् 2011 दर्ज है। तहसीलदार जोधपुर के पत्रांक–राजस्व/1433 दिनांक 31.12.1982 के अनुसार अप्रार्थीगण भल्लाराम पुत्र रामाराम, मोतीराम पुत्र रामाराम, मांगाराम पुत्र रामाराम कौम जाट साकिन बोरानाडा के नाम आवंटन होना बताते हुए नामान्तरकरण सं 188 दिनांक 05.03.1983 के दर्ज करते हुए दिनांक 08.04.1983 को स्वीकृत किया गया। उक्त कार्यवाही के पश्चात् पारस्परिक सहमति से अप्रार्थीगण ने अपनी अन्य खातेदारी भूमि से साथ उक्त भूमि का विभाजन कर लिया तत्पश्चात् नामान्तरणकरण सं 328 भल्लाराम पुत्र रामाराम खसरा न0 268 रकबा 2.07 बीघा, मगाराम पुत्र रामाराम खसरा न0 268/1 रकबा 2.07 बीघा, मोतीराम पुत्र रामाराम खसरा न0 268/2 रकबा 2.08 बीघा में ग्राम बोरानाडा के दर्ज रिकार्ड हुआ।

अप्रार्थी मगाराम पुत्र रामाराम फौत होने पर अनुदेवी, कौशल्या पुत्री स्व0 मगाराम, अचुकी पत्नी स्व0 मगाराम के नाम नामान्तरकरण सं 677 के जरिये रिकार्ड में इन्द्राज आया एवं अनुदेवी, कौशल्या पुत्री स्व0 मगाराम नाबालिग कुदरत वली माता आचुकी पत्नी स्व0 मगाराम आचुकी पत्नी स्व0 मगाराम जाट द्वारा बेचान करने पर श्रीमती गैरी देवी पत्नी भल्लाराम व खेती देवी पत्नी मोतीराम जाट साकिन बोरानाडा के नाम नामान्तरकरण सं 706 के जरिये रेकर्ड में दर्ज हुआ।

ग्राम बोरानाडा के खसरा न0 268 रकबा 2.07 बीघा का अप्रार्थी सं एक द्वारा पुनः विभाजन करते हुए उक्त नवीनरुप से खसरा न0 268/3 रकबा 0.16.02 बीघा बारानी प्रथम व खसरा न0 268 रकबा 0.16.02 बीघा बारानी प्रथम व खसरा न0 268 रकबा 1.10.18 गैर मुमकिन आवासीय के रूप में सपरिवर्तन करवाया गया एवं अप्रार्थी सं दो मोतीराम द्वारा खसरा न0 268/2 रकबा 2.08 बीघा सम्पूर्ण गै0मु0 आवासीय के रूप में सपरिवर्तन करवाया गया। जिसके नामान्तरकरण संख्या 680, 778 दर्ज है।

प्रार्थना पत्र में आगे बतलाया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत प्रतिबन्धित भूमि गै0मु0 नाडी भूमि का आवंटन आदेश संख्या 1433 दिनांक 31.12.1982 के जरिये नामान्तरकरण सं 188 दर्ज कर अप्रार्थी के नाम स्वीकृत किया जाना भी नियमानुसार भी गलत है।

अतः माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर की जनहित याचिका सं डी0बी0 डब्ल्यू 1536/03 अब्दुल रहमानन बनाम राज्य सरकार व अन्य के निर्णय के निर्देशों की पालना तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में प्रतिबन्धित भूमि का नियम विरुद्ध आवंटन तथा राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद होने से पुनः मूल रिकार्ड स्थापना हेतु रेफरेन्स अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत करते हुए विधि विरूद्ध इन्द्राज को निरस्त करने का निवेदन किया।

रेफरेन्स प्रार्थना पत्र दर्ज करते हुए अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गए। अप्रार्थी संख्या 1,2,3 की ओर से अधिवक्ता अशोक चौधरी ने एवं अप्रार्थी संख्या 2 व 4 की ओर से अनिल राठी ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी संख्या 5 की ओर से अधिवक्ता श्री प्रेमरतन पुरोहित व अप्रार्थीगण 6/3 की ओर से अभिभाषक नथाराम चौधरी ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी सं 1 व 3 की ओर से जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थी के द्वारा एक रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र ग्राम बोरानाड़ा तहसील लूणी जिला जोधपुर के खसरा न0 268 रकबा 7.02 बीघा को राजस्व रेकर्ड में गैर मुमकिन नाडी के रुप में दर्ज किये जाने बाबत् प्रस्तुत किया है, जिस पर अप्रार्थीगण को ऐतराज है। उक्त खसरा न0 268 रकबा 7.02 बीघा भूमि का नियमन दिनांक 16.09.1981 को उपखण्ड अधिकारी जोधपुर के द्वारा प्रकरण सं 317/1976 सरकार बनाम रामाराम में पारित निर्णय की पालना में किया गया। उक्त आदेश सक्षम न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रिया अपनाकर प्रार्थी को सुनवाई का पूर्ण अवसर दिया जाकर पारित किया गया, उक्त आदेश के विरूद्ध किसी भी न्यायालय में कोई अपील प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई। उक्त आदेश आज दिन तक यथावत है जो अंतिम है। उक्त आदेश के अनुसरण में राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद को रेफरेन्स प्रक्रिया के आधार पर निरस्त नहीं किया जा सकता। इस आधार पर उक्त प्रार्थना–पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

उक्त प्रकरण में सुनवाई के दौरान प्रार्थी द्वारा दिनांक 29.11.1978 को इस आशय का जवाब प्रस्तुत किया गया कि खसरा न0 268 सेटलमेंट की गलती से नाड़ा दर्ज हो रखा है। मौके पर न तो कोई नाड़ा न कोई आगौर है न ही उक्त स्थान पर पानी का भराव होता है। इस कारण उक्त भूमि अप्रार्थी के नाम नियमन की जाने योग्य है। इस जवाब के आधार पर उपखण्ड अधिकारी जोधपुर के द्वारा उक्त भूमि का नियमन अप्रार्थीगण के नाम किये जाने का आदेश पारित किया गया था। उक्त आदेश की अनुपालना में तत्कालीन तहसीलदार जोधपुर के द्वारा आदेश क्रमांक 1433 दिनांक 31.12.1982 जारी कर दिनांक 06.04.1983 को उक्त भूमि अप्रार्थीगण के नाम राजस्व रेकर्ड दर्ज की गई, तब से लगातार अप्रार्थीगण ही उक्त भूमि पर काबिज चले आ रहे है।

अप्रार्थीण 1 व 3 के जवाब में यह भी कथन किया कि खसरा न0 268 की भूमि के चारों तरफ अप्रार्थीगण के खातेदारी की कृषि भूमि है। इस प्रकार ग्राम बोरानाड़ा के खसरा न0 268 नाडी के रूप में कभी काम में नहीं आई। भूमि में पानी बहकर आने का कोई रास्ता नहीं है। उक्त भूमि वक्त सेटलमेंट के पहले अप्रार्थीगण के पूर्वज द्वारा लाटे के रूप में काम लेते थे।

उक्त भूमि नियमन होने के बाद उक्त भूमि का अप्रार्थीगण के द्वारा बटवाड़ा आपसी सहमति से कर लिया गया है तथा आबादी का विस्तार होने तथा अप्रार्थीगण को भी ग्राम बोरानाडा में आवासीय भूमि की आवश्यकता होने पर अप्रार्थी सं एक के द्वारा उक्त भूमि का विधिक प्रक्रिया अपनाकर कृषि से आवासीय में रूपान्तरण करवा लिया गया है। आवासीय रूपान्तरित की गई भूमि के संबंध श्रीमान् न्यायालय को क्षेत्राधिकार नहीं है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायायल के द्वारा रिट याचिका सं 1536 / 03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित आदेश की मंशा मात्र पानी भराव वाली भूमि को ही नियमन निरस्त करने की है जबकि उक्त भूमि पर कभी भी पानी का भराव नहीं होता था। ऐसी स्थिति में उक्त रेफरेन्स माननीय राजस्थान उच्च न्यायलय के द्वारा अब्दुल रहमान के प्रकरण में पारित निर्दोषों के अनुसरण में नहीं होने से उक्त रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

हमने अप्रार्थीगण के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया। अप्रार्थीगण के अभिभाषकगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का भी अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का भी अध्ययन किया। इस प्रकरण में यह तथ्य प्रकट हुए कि उपखण्ड अधिकारी जोधपुर ने नायब तहसीलदार जोधपुर के प्रकरण सं 317 / 1976 सरकार बनाम रामाराम वगैरह में आदेश दिनांक 16.09.1981 को मौजा बोरानाडा के खसरा न0 268 रकबा 7.03 बीघा भूमि छोटी पट्टी के रूप में 50 / – रुपये प्रति बीघा प्रीमियम लगाया जाकर रामाराम पुत्र भबूत, भल्ला पुत्र रामा, मोती पुत्र रामा व मगाराम पुत्र रामाराम जाट, निवासी बोरानाडा नियमन की गयी उक्त भूमि की किस्म गै0मु0 नाडा से बी–तृतीय दर्ज करने के आदेश भी दिए। उक्त आदेश को प्रार्थीपक्ष ने कहीं चुनौती नहीं दी है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के रिट याचिका सं 1536 / 03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार निर्णय दिनांक 02.08.2004 एवं उच्च न्यायालय जयपुर पीठ के समक्ष एस बी सिविल याचिका संख्या 11153 / 11 सुओ मोटो बनाम राज्य सरकार में दिए गए आदेश की अनुपालना में व राज्य सरकार के परिपत्र राजस्व (ग्रुप–7) विभाग के परिपत्र क्रमांक पं.

4(89)राज–7/2003 जयपुर दिनांक 20–25/01/12, परिपत्र क्रमांक पं. 3(146)राज–7/2011 जयपुर दिनांक 05.07.12, परिपत्र क्रमांक पं. 10(3)राज–6/2001–पार्ट–5 जयपुर दिनांक 26.06.12 एवं पं. 10(3)राज–6/2001–पार्ट–17 जयपुर दिनांक 23.09.2011 में दिये गये निर्देशों में भी ऐसे प्रकरणों के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में चाराजोई कर आवंटन–नियमन के आदेश निरस्त कराने को कहा गया है के अनुसरण में कैचमैन्ट एरिया को मूल स्वरूप में लाने के लिये प्रभावी कदम प्रभावी योजना बनाई जावें।

मौजा बोरानाडा तहसील लूणी खतौनी बन्दोबस्त संवत 2011 से 2030 के अनुसार खसरा न0 268 कुल रकबा 7.02 बीघा की किस्म गै0मु0 नाड़ा अंकित है। उक्त खसरा न0 268 रकबा 7.02 बीघा किस्म गै0मु0 नाड़ा की भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 की प्रतिबन्धित भूमि की श्रेणी में आती है। जिसका नियमानुसार आवंटन/हस्तान्तरण नहीं किया जा सकता है । राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के तहत आवंटन सलाहकार समिति का गठन किया हुआ है तथा उक्त सलाहकार समिति की सिफारिश पर ही उपखण्ड अधिकारी द्वारा सरकारी भूमि का आवंटन–नियमन किये जाने का प्रावधान है, प्रस्तुत प्रकरण में विवादित भूमि नायब तहसीदार जोधपुर द्वितीय के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 317/1976 में दिनांक 29.11.1978 को की गई सिफारिश पर सलाहकार समिति की उपखण्ड अधिकारी जोधपुर ने बिना बुलाये बैठक अपने आदेश दिनांक 16.09.1981 के द्वारा नियमन कर भूमि की किस्म B-III दर्ज करने के निर्देश दिये गये थे जो विधिक प्रावधानों के विपरित है।

उक्त नियम 1970 के नियम 19, 20 के तहत आसामियों के खेतों के साथ लगी हुई अनाधिकृत भूमियों में छोटे टुकड़ों अथवा खण्डों का आवंटन/नियमन करने वाली भूमि चारागृह/श्मशान या कब्रिस्तान या खेल के मैदान अथवा किसी सार्वजनिक प्रयोजनार्थ के लिए अजि्त भूमि के रूप में अभिलिखित न की गई हो स्पष्ट किया गया है। विवादग्रस्त भूमि खसरा 268 रकबा 7.02 बीघा किस्म गैर मुमकिन नाड़ा वक्त सेटलमेन्ट से दर्ज है। अतः उपखण्ड अधिकारी को भूमि किस्म परिवर्तन अपने स्तर पर करने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं था।

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 9 के तहत माननीय राजस्थान राजस्व मंडल, अजमेर के अर्न्तनिहित शक्तियां प्रदत्त है। जिसके तहत उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर द्वारा विवादग्रस्त भूमि का सलाहकार समिति की बिना सिफारिश किये नियमन करने एवम भूमि की किस्म बदलने को

आदेश को निरस्त कर सकते है। अतः अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब / तर्को से हम सहमत नहीं है, परिणाम स्वरूप प्रस्तुत रेफरेंस प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए माननीय राजस्थान राजस्व मंडल, अजमेर को इस अनुशंषा के साथ प्रेषित किया जाता है कि वाके ग्राम बोरानाड़ा तहसील लूणी जिला जोधपुर के खसरा नं 268 रकबा 7.02 बीघा किस्म गैर मुमकिन नाड़ा वक्त सेटलमेन्ट रहते हुए उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर ने अपने कथित आदेश दिनांक 16.09.1981 अप्रार्थीपक्ष में नियमन कर इस भूमि की किस्म B-III में बदलने एवम उसकी अनुपालना में तहसीलदार, जोधपुर के आदेश दिनांक 31.12.1982 के जरिये नामान्तकरण संख्या 188 दिनांक 8.04.1983 किया गया तथा उसके पश्चात् आपसी सहमति से किये गये। विभाजन का नामान्तरणकरण सं. 328, विरासत का नामान्तरणकरण सं. 677 बेचान व संपरिवर्तन नामान्तरणकरण सं. 706, 680 व 778 को निरस्त कर पुनः राजस्व रेकर्ड में गैर मुमकिन नाडा के रूप में दर्ज कराने का आदेश प्रदान करावें।

(छगनलाल गोयल)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

निर्णय आज दिनांक 14.05.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(छगनलाल गोयल)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर